न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 271/2021

अनवान :

1. मदनसिंह उर्फ मदनसिंह कस्वां पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा।

:— वादी

बनाम

1. काशीराम पुत्र श्री शिशपाल जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा हाल निवासीगण गंजारूपाणा।
2. अशोककुमार पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी घेउ हाल त0 भादरा हाल नोहर त0 नोहर।
3. भरतसिंह पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी घेउ हाल त0 भादरा।
4. आर एम जी वी शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सरजीत विजारणियां एवं वकील प्रतिवादीगण श्री मुन्शीराम गोस्वामी की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी सावित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा घेउ के खाता सं0 43/42 के खसरा सं0 166/1 की 3.667है0, खसरा सं0 771/149 की 0.354है0, खसरा सं0 773/530 की 7.752है0 कुल खसरा त0 3 की 11.773है0 बारानी खातेदारी मे काशीराम के नाम 1/2 हिस्सा वाद भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 काशीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी मदनसिंह उर्फ मदनसिंह कस्वा, प्रतिवादी स0 2 अशोक कुमार, प्रतिवादी संख्या 3 भरतसिंह को वहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.05.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 267/2021

अनवान :

1. मदनसिंह उर्फ मदनसिंह करवां पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा।

:- वादी

बनाम

1. काशीराम पुत्र श्री शिशपाल जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा हाल निवासीगण गंजारूपाणा जिला सिरसा।
2. अशोककुमार पुत्र काशीराम जाति जाट निवारी घेउ त0 भादरा हाल नोहर।
3. भरतसिंह पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा।
4. आर एम जी बी शाखा भादरा जरिये शाखा प्रवन्धक भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री सरजीत बिजारणियां : **वादी**

वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : **प्रतिवादीगण**

दिनांक : 17-05-22

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा घेउ के खाता सं0 43/42 के खसरा सं0 166/1 की 3.667है0, खसरा स0 771/149 की 0.354है0, खसरा सं0 773/530 की 7.752है0 कुल खसरा स0 3 की 11.773है0 बारानी खातेदारी में काशीराम के नाम 1/2 हिस्सा, खाता सं0 75/69 के खसरा सं0 178 की 6.956है0, खसरा सं0 235 की 0.493है0 खसरा सं0 245 की 1.062है0 कुल खसरा 3 की 8.511है0 बारानी खातेदारी में से काशीराम के नाम 1/6 हिस्सा, खाता सं. 285/280 के खसरा स0 558 की 8.081है0, खसरा सं0 566 की 2.504है0, खसरा सं0 743 की 0.607है0, खसरा सं0 745 की 0.228है0 कुल खसरा 4 की 11.420है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी काशीराम के नाम से 99 हिस्सा, खाता स0 42/41 के खसरा सं0 167/1 की 1.062है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी काशीराम के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता शीशपाल की खातेदारी हुआ करती थी। उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 काशीराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमे वादीका जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज

Scanned with CamScanner

करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखासमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है।

साक्ष्यवादी मे पीडब्ल्यू1 मदनसिंह के बयान करवाये तथा जमाबंदी रोही मौजा घेउ संवत 2075–78 पदर्श 1 ता 3 व जमाबंदी रोही घेउ संवत 2041 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीकी दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने घेउ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी पेश की है उनके अनुसार वाद भूमि में से महज रोही मौजा रोही मौजा घेउ के खाता सं0 43/42 के खसरा सं0 166/1 की 3.667है0, खसरा सं0 771/149 की 0.354है0, खसरा सं0 773/530 की 7.752है0 कुल खसरा स0 3 की 11.773है0 बारानी खातेदारी में काशीराम के नाम से जो 1/2 हिस्सा दर्ज है वही काशीराम को अपने पिता शिशपाल से विरासतन में मिलना साबित है इसके अलावा शेष भूमि दादालाई होनी साबित नही है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा घेउ के खाता सं0 43/42 के खसरा सं0 166/1 की 3.667है0, खसरा सं0 771/149 की 0.354है0, खसरा सं0 773/530 की 7.752है0 कुल खसरा स0 3 की 11.773है0 बारानी खातेदारी में काशीराम के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उसमें प्रतिवादी सं0 1 काशीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी मदनसिंह उर्फ मदनसिंह कस्वा, प्रतिवादी सं0 2 अशोक कुमार, प्रतिवादी संख्या 3 भरतसिह को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(शकुन्तला चौधरी)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner